

उत्तर आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा यदि तक 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनीकरण पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (राज्य प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों) संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विभिन्नवर्षों-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के विना यह जाने की विधि में उत्तर प्रवेश प्रमाण के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सहाय-समाप्त पर निर्गत छात्रावधि के अनुसार भिन्न-भिन्न एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0आई0 / पी0एच0आई0 से अपनाई जाय हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि / नियमों / अधिनियमों / शासनादेशों / निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को तैय्य रहने होगी।
- ✓ विभागाध्यक्ष इन फार्मों पर आवश्यकताओं के अनुसार यदि पी0सी0आई0 नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में तत्पश्चात् उत्तरप्रदेश संस्था का होना और विधिगत रूप से शिक्षा की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरप्रदेशी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई राय उपभूत किया जाता है तथा बायें बायें के संबंध में नए प्राधान्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निरोध किया जाता है जो सम्बद्ध प्रतीभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विभागाध्यक्ष इन फार्मों पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने संबंधों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सहायक उच्च प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त पर परिषद कावालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा अपने प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोदित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्मित नवीनतम आसन्न नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्तर, राज्य-सहायक व्यवस्था, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्षावर्ग उपलब्ध करने को साथ शैक्षिक संकेतों के सम्बद्ध में समस्त आवश्यक मापदंड सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित / संभावित व्यवस्थाओं को रखा जाये हेतु निर्देशक समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-समाप्त, फार्मों, प्रकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संभावित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुमोदना की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की विधि में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(श्री आर0एस0 सिंह)
सचिव

पुं०सं०- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 3872-3141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्रतिष्ठिति-प्रधानाचार्य/निदेशक, सहायक इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एफड मैनजमेंट, लखनऊ।

(श्री आर0एस0 सिंह)
सचिव

Handwritten signature

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक- 09/08/2021

:-कार्यालय तार:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी विद्या संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2726-RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनींग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सशस्त्रादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RAMESHWARAM INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

- ✓ यदि संस्था का 50-वर्षीय/तीसरे/द्वितीयावधि से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संस्था में समस्त छात्र/छात्रिका संस्था का नाम और विभिन्न नाम से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था वाले उत्तरदायी होंगे।
- ✓ प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित आदेशों के विरुद्ध यदि कोई कार्य दाखल किया जाता है तथा उक्त कार्य के संबंध में यह आवश्यकता पड़े तो संस्था को उचित/संबंधी कार्यवाही करना पड़ेगी।
- ✓ संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रवेश परीक्षा एवं उच्च शिक्षण परिषद, आर्थिक कार्यपालिका द्वारा होने के पूर्व 50-वर्षीय/तीसरे/द्वितीयावधि से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उनका कारण देना अनिवार्य नहीं होगा। (कार्यालय के माध्यम से प्रेषित परीक्षा के अर्थात् प्राथमिक प्रवेश, अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी)।
- ✓ उच्च शिक्षा आयोग द्वारा प्रेषित हेतु समस्त-समय पर निर्दिष्ट नवीनतम आवश्यक विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूची, भूखण्ड, आवास-समाप्त, उपकरण, प्रथा विनियम आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-संबंधित हेतु उपयुक्त आवश्यकताएं कानून के साथ वैधित्व रखने के अलावा ही समस्त आवश्यक-आवश्यक सुनिश्चित करनी होंगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्राथमिक/संबंधित परराज्य को आने वाले हेतु निर्दिष्ट अधिका के समस्त आवश्यक कार्यवाही अभिलेख, भूमि-पत्र, कार्यवाही, उपकरण आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परराज्य के संबन्ध में प्रेषित किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था-उपरोक्त का प्रेषित किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को संबंधित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता को प्रेषित।
- ✓ संस्था के प्रेषित-संबंधित निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य कार्य, समस्त 50-वर्षीय/तीसरे/द्वितीयावधि से आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं प्राप्त कराते हैं तो संस्था को संबंधित कार्यवाही करनी पड़ेगी।
- ✓ संबंधित कार्य का अनुपालन न होने वाले अलावा कार्य का उपलब्ध किए जाने की दिशा में निम्नलिखित अनुपालन/कार्यवाही की जायेगी।


(रामेश्वर शाह)

सचिव

पुस्तक- सचिवालय/पुस्तक संयोजक/2022/7818-8458

दिनांक- 30/08/2022

टीसी/टी

रामेश्वर शाह RAMESHWAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT


(रामेश्वर शाह)

सचिव